कुछ मुस्लिम बहुल देशों के शरणार्थियों और नागरिकों के संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध के बारे में राष्ट्रपति ट्रंप का आदेश

अस्वीकरण (डिस्क्लेमर): यह एडवायज़री इमिग्रेशन लॉ यूनिट के लीगल ऐड सोसाइटी के द्वारा बनाई गयी है। यह एडवायज़री क़ानूनी सलाह नहीं है और इसे इमिग्रेशन विशेषज्ञ की सलाह का पर्याय नहीं माना जाना चाहिए।

26 जून 2017 को ट्रंप बनाम आई.आर.ए.पी. मामले में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति ट्रंप के 6 मार्च 2017 के उस कार्यकारी आदेश के कार्यान्वयन पर से आंशिक रूप से प्रतिबंध हटा लिया जिसके तहत ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन के शरणार्थियों और नागरिकों पर संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया था।

संयुक्त राज्य अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ़ स्टेट और डिपार्टमेंट ऑफ़ होमलैंड सिक्योरिटी दोनों ने ही यात्रा प्रतिबंध लागू करने के तरीके के बारे में शुरूआती दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आने वाले सप्ताहों में अतिरिक्त दिशा-निर्देश अपेक्षित हैं और कुछ संघीय न्यायालय याचिका शुरू हो चुके हैं।

यात्रा प्रतिबंध की वर्तमान स्थिति क्या है? *(30* ***जून*** *2017* ***को****)*

- यात्रा प्रतिबंध से जुड़ा यह आदेश (अब 26 जून 2017) इसके प्रभावी होने की तारीख़ से संयुक्त राज्य संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर रह रहे नामित छह देशों के ऐसे सभी नागरिकों के प्रवेश पर लागू होता है, जिनके पास 27 जनवरी 2017 को EST शाम 5:00 बजे और 29 जून 2017 EDT शाम 8 बजे वैध वीज़ा नहीं था।
- यात्रा का प्रतिबंध छह देशों के उन नागरिकों पर लागू नहीं होगा जिनके वैध संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित किसी निकाय या व्यक्ति से हों या ऐसे व्यक्ति जो प्रतिबंध के क्षेत्र से बाहर हों या जो छूट पाने के योग्य हों।
- किसी भी **व्यक्ति** से संबंध का मतलब घनिष्ठ और प्रत्यक्ष पारिवारिक संबंध है।
    - शामिल अनुमत संबंध: माता-पिता, सास-ससुर, पति-पत्नी, मंगेतर, बच्चा, वयस्क बेटा या बेटी, दामाद, बहू, भाई-बहन (पूरे, आधे या सौतेले)।
    - शामिल नहीं किए गए संबंध: दादा-दादी, पोते-पोतियाँ, मामा, मई, चाचा, चची, बुआ, फ़ुफ़ा, मौसा, मौसी, भांजा, भांजी, भतीजा, भतीजी, ऐसे भाई बहन जो सगे न हों, देवर, ननद और भी कोई विस्तृत परिवार का सदस्य।
        - हवाई ने पहले ही इन पारिवारिक संबंधों को शामिल नहीं किए जाने को लेकर याचिका दायर की है; हम इस मामले में किसी नए पक्ष के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
    - शरणार्थियों पर प्रतिबंध के बावजूद किसी ऐसे शरणार्थी के पति या पत्नी और बच्चों को प्रवेश के लिए प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए जो पहले से संयुक्त राज्य अमेरिका में हो, क्योंकि उनके संबंध मान्य हैं।
- किसी **निकाय** से संबंध औपचारिक, रिकॉर्ड में दर्ज और सामान्य समय के दौरान बना हो।

- o विद्यार्थी वीज़ा और रोज़गार आधारित वीज़ा जो किसी शैक्षिक संस्थान या व्यवसायिक निकाय से संबंधित हैं, उसका संबंध औपचारिक, रिकॉर्ड में दर्ज और सामान्य समय के दौरान बना होना चाहिए, ताकि इन छह देशों के व्यक्तियों को इस तरह के वीज़ा, यात्रा प्रतिबंध के दौरान मिल सकें।
  - o यात्रा पर लगे प्रतिबंध से बचने के लिए संबंध नहीं बनाए जा सकते।
  - o यात्रा प्रतिबंध के उद्देश्य से इस समय शरणार्थी पुनर्वसन एजेंसी और शरणार्थी के बीच के संबंध को संयुक्त राज्य अमेरिका में किसी निकाय के साथ वैधानिक संबंध के तौर पर मान्य नहीं किया जा रहा है। अतिरिक्त दिशा-निर्देश के जल्द ही जारी किए जाने की संभावना है।
- छह देशों में से किसी भी देश के टूरिस्ट या विज़िटर वीज़ा पाने के इच्छुक व्यक्तियों को संयुक्त राज्य अमेरिका में किसी व्यक्ति या निकाय के साथ वैध संबंध प्रमाणित न कर पाने की स्थिति में यात्रा करने से प्रतिबंधित किया जा सकता है।
- नीचे दिए गए व्यक्तियों को यात्रा प्रतिबंध में **शामिल नहीं** किया गया है:
  - o स्थायी निवासी;
  - o आदेश की प्रभावी तारीख पर या उसके बाद संयुक्त राज्य संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश दिया गया हो या पैरोल पर छोड़ा गया हो। इसमें पैरोल को बढ़ाने के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्ति;
  - o दोहरी नागरिकता वाले ऐसे व्यक्ति जो गैर-प्रतिबंधित देशों के पासपोर्ट पर यात्रा कर रहे हैं;
  - o राजनयिक वीज़ा प्राप्त कुछ व्यक्ति;
  - o ऐसे शरणार्थी जिन्हें अपने देश लौटने पर जान या आजादी छीने जाने का ख़तरा हो या ऐसे शरणार्थी जिन्हें देश में बहुत ही विपरीत परिस्थियों के कारण देश छोड़ना पड़ा हो और ऐसी व्यक्तियों को आदेश के प्रभावी होने के पहले ही दर्जा दिया जा चुका हो;
  - o ऐसे व्यक्ति जिन्हें कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर के तहत निकालने जाने पर रोक लगाई गयी हो या सुरक्षा प्रदान की गई हो, शामिल हैं।
- अगर कोई व्यक्ति नीचे दी गयी तीनों शर्तों को पूरा करता हो, तो **छूट** दी जा सकती है:
  - o प्रवेश मना किए जाने पर उसके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आएँगी;
    - ▪ इस संदर्भ में कठिनाई अभी परिभाषित नहीं है।
  - o व्यक्ति के प्रवेश से राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई ख़तरा नहीं होगा और
  - o प्रवेश सार्वजानिक हित में होगा।

यात्रा पर प्रतिबंध के क्या मायने हैं?

अन्य चीज़ों के अलावा 6 मार्च 2017 का कार्यकारी आदेश, संघीय सरकार को नीचे दिए गए कदम उठाने के निर्देश देता है:

- आदेश (अब 26 जून 2017) के प्रभावी होने की तारीख़ से संयुक्त राज्य संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर रह रहे ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन के ऐसे सभी नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना जिनके पास 27 जनवरी 2017 को EST शाम 5:00 बजे और आदेश (अब 29 जून 2017 EDT शाम 8 बजे) के प्रभावी होने पर वैध वीज़ा नहीं था।
  - o ईराक अब प्रतिबंधित सूची में नहीं है।
- यह प्रतिबंध ऐसे स्थायी निवासियों पर नहीं लागू किया जाए जिन्हें आदेश की प्रभावी तारीख पर या उसके

बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश दिया गया हो या पैरोल पर छोड़ा गया हो। इसमें पैरोल को बढ़ाने के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्ति; दोहरी नागरिकता वाले ऐसे व्यक्ति जो गैर-प्रतिबंधित देशों के पासपोर्ट पर यात्रा कर रहे हैं; राजनयिक वीज़ा प्राप्त कुछ व्यक्ति, ऐसे शरणार्थी जिन्हें अपने देश लौटने पर जान या आजादी छीने जाने का ख़तरा हो या ऐसे शरणार्थी जिन्हें देश में बहुत ही विपरीत परिस्थियों के कारण देश छोड़ना पड़ा हो, ऐसे व्यक्ति जिन्हें कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर के तहत निकालने जाने पर रोक लगाई गयी हो या सुरक्षा प्रदान की गई हो, शामिल हैं।

- विभिन्न मापदंडों को ध्यान में रखते हुए यात्रा प्रतिबंध में छूट देना।
- ईराकी नागरिकों पर यात्रा प्रतिबंध लागू न किया जाए जो कि विस्तृत समीक्षा के क्षेत्र में आते हैं।
- कम से कम 120 दिनों के लिए हर तरह के शरणार्थियों के प्रवेश को रोके।
  - o यह प्रतिबंध ऐसे शरणार्थियों पर लागू न किया जाए जिन्हें आदेश (अब 29 जून 2017 EDT शाम 8 बजे) के प्रभावी होने की तारीख से पहले औपचारिक रूप से प्रवेश देना तय हुआ हो।
  - o कुछ मामलों में शरणार्थियों को अपवाद के रूप में प्रवेश किया जा सकता है।
- वित्तीय वर्ष 2017 के लिए राष्ट्रपति ओबामा के 1,10,000 के लक्ष्य की जगह 50,000 शरणार्थियों को ही प्रवेश दें।
- बायोमैट्रिक प्रवेश-निकासी प्रणाली को तेज़ी से पूरा किया जाए।
- बिना इंटरव्यू के वीज़ा कार्यक्रम को अस्थायी रूप से बंद किया जाए और सभी आवेदकों के लिए साक्षात्कार अनिवार्य किया जाए बशर्ते इसमें क़ानूनी रूप से छूट न दी गयी हो।
  - o यह वीज़ा से छूट कार्यक्रम को प्रभावित नहीं करता जिसमें विज़िटर वीज़ा की आवश्यकता में छूट दी गयी है।
- किसी भी व्यक्ति का किसी भी "आतंकवादी संगठन" के समर्थन में छोटे से छोटे समर्थन को भी ध्यान में रखते हुए आतंकवाद से संबंधित मामलों में किसी भी तरह की छूट न देने पर विचार किया जाए।

अगर आपके कोई सवाल हैं या आपको किसी भी तरह की सहायता की ज़रूरत है, तो कृपया हमारे इमिग्रेशन हॉटलाइन से 844-955-3425 **पर संपर्क करें।**